मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय .....

सरकार बनाम रामपति व अ० (रिवलाई)

किस्म मुकदमा ..... मु० नं० 105/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5	दिसावर सरकार सिकराय के द्वारा सुनवाई पेश किया। द्वारा पत्र रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड की तरफ की जाकर पत्रावली दि० 8-5-19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा।	
7/5	पत्रावली पेश हुई। दिसावर सरकार अनुपस्थित। दिसावर सरकार हाथ रिपोर्ट पेश किया है कि उक्त प्रकरण का निपटारा तहसील स्तर से करना किया गया। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण का कोई औचित्य नहीं है। अतः धारा 126 भू० रा० अधि० का धारा 126 रद्द किया जाता है पत्रावली मिसल अपील होकर सरकार के नाम हो। 31/4/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	मीणा रहा प्रकरण का निपटारा तहसील स्तर पर किया गया है अतः प्रकरण को निपटाया जाये 3/4/19